

मुहरबंद प्राप्त करने की
अवधि दि. 4.12.15 से.
4.01.16 साय: 3.00 बजे तक

मुहरबंद प्राप्त की खोलने की
दिनांक 5.01.16 प्रात: 11.00
बजे

राजस्थान आवासन मण्डल, द्वारा

कुड़ी भगतासनी आवासीय योजना जोधपुर में
व्यावसायिक भूखण्डों की मुहरबन्द प्रस्ताव द्वारा भव्य नीलामी

मुहरबंद प्रस्ताव खोलने व प्राप्त करने का स्थल-कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत प्रथम राजस्थान आवासन मण्डल जोधपुर

कुड़ी भगतासनी आवासीय योजना जोधपुर
रा.आ.म. खण्ड द्वितीय के अधीन व्यावसायिक भूखण्ड

कुड़ी भगतासनी आवासीय योजना जोधपुर
रा.आ.म. खण्ड तृतीय के अधीन व्यावसायिक भूखण्ड

S. No.	व्यावसायिक भूखण्ड संख्या	भूखण्ड का माप (वर्ग मीटर)	न्यूनतम बोली दर (प्र.वर्ग मीटर)	संलग्न की जाने वाली अमानत राशि	आरक्षित वर्ग
1	2	3	4	5	6
1	4-S-7 Coner	54.00	82500.00	222750.00	सामान्य
2	4-S-8 ,9	54.00	79000.00	213300.00	सामान्य
3	4-S-10 Corner	55.35	82500.00	228319.00	अनुसूचित जाति
4	4-C-1/14	9.00	88500.00	39825.00	सामान्य
5	4-C-1/15 Corner	13.50	93000.00	62775.00	अनुसूचित जाति
6	4-C-1/18	13.50	91000.00	61425.00	अ.ज.जा. विधवा परि.
7	4C-2/1 Corner	18.00	81000.00	72900.00	अ.जा.विधवा परि.
8	4C-2/2,3,4,5	18.00	78500.00	70650.00	सामान्य
9	4C-2/6 Corner	18.00	81000.00	72900.00	अ.ज.जा विकलांग
10	4C-2/7 Corner	9.00	81000.00	36450.00	अनुसूचित जाति
11	4C-2/8, 9,10,11	9.00	78500.00	35325.00	सामान्य
12	4C-2/12 Corner	9.00	81000.00	36450.00	अ.जा.विकलांग
13	4C-2/14,15,16	9.00	78500.00	35325.00	सामान्य
14	4C-2/17 Corner	9.00	81000.00	36450.00	सामान्य

S. No.	व्यावसायिक भूखण्ड संख्या	भूखण्ड का माप (वर्ग मीटर)	न्यूनतम बोली दर (प्र.वर्ग मीटर)	संलग्न की जाने वाली अमानत राशि	आरक्षित वर्ग
1	2	3	4	5	6
1	5-CS-10,12,14,16,17	13.50	79000.00	53325.00	सामान्य
2	5-CS-13	13.50	79000.00	53325.00	अनुसूचित जाति
3	5-CS-15	13.50	79000.00	53325.00	अनुसूचित जन जाति
4	5-CS-18 Corner	18.90	83000.00	78435.00	सामान्य
5	5-CS-19,20,26	18.00	79000.00	71100.00	सामान्य
6	5-CS-24	18.00	79000.00	71100.00	अनुसूचित जन जाति
7	5-CS-29 Corner	14.64	80000.00	58560.00	सामान्य
8	5-CS-30	14.64	79000.00	57828.00	अनुसूचित जाति
9	5-DS-4, 5,15	13.50	79000.00	53325.00	सामान्य
10	5-DS-6	13.50	79000.00	53325.00	अनुसूचित जन जाति
11	5-DS-7	13.50	79000.00	53325.00	अनुसूचित जाति
12	5-DS-13	13.50	79000.00	53325.00	अ.जा.
13	5-DS-14	13.50	79000.00	53325.00	अनुसूचित जन जाति

कुड़ी भगतासनी आवासीय योजना जोधपुर
रा.आ.म. खण्ड चतुर्थ के अधीन व्यवसायिक भूखण्ड

S. No.	व्यवसायिक भूखण्ड संख्या	भूखण्ड का माप (वर्ग मीटर)	न्यूनतम बोली दर	संलग्न की जाने वाली अमानत राशि	आरक्षित वर्ग
1	2	3	4	5	6
1	8/52	72.00	90000.00	324000.00	सामान्य
2	8/53	72.00	90000.00	324000.00	अनुसूचित जाति
3	8/54 Corner	18.00	82500.00	74250.00	अनुसूचित जन जाति विकलांग
4	8/55 Corner	18.00	82500.00	74250.00	सामान्य
5	8/56, 8/57, 8/58	18.00	78500.00	70650.00	सामान्य
6	8/59	18.00	78500.00	70650.00	अनुसूचित जाति की विधवा परि.
7	8/60, 8/61	18.00	78500.00	70650.00	सामान्य
8	8/62	18.00	78500.00	70650.00	अनुसूचित जन जाति
9	8/63 Corner, 8/64 Corner	18.00	82500.00	74250.00	सामान्य
10	8/65	18.00	78500.00	70650.00	अनुसूचित जाति

कुड़ी भगतासनी आवासीय योजना जोधपुर
रा.आ.म. खण्ड चतुर्थ के अधीन व्यवसायिक भूखण्ड

S. No.	व्यवसायिक भूखण्ड संख्या	भूखण्ड का माप (वर्ग मीटर)	न्यूनतम बोली दर (प्र.वर्ग मीटर)	संलग्न की जाने वाली अमानत राशि	आरक्षित वर्ग
1	2	3	4	5	6
11	8/66, 8/67, 8/68, 8/69	18.00	78500.00	70650.00	सामान्य
12	8/70	18.00	78500.00	70650.00	अनुसूचित जन जाति की विधवा परि.
13	8/71	18.00	78500.00	70650.00	अनुसूचित जाति
14	8/72 Corner, 8/73 Corner	18.00	90000.00	81000.00	सामान्य
15	8/74, 8/75, 8/76	18.00	87500.00	78750.00	सामान्य
16	8/77	18.00	87500.00	78750.00	अनुसूचित जाति
17	8/78 Corner	72.00	90000.00	324000.00	अनुसूचित जन जाति
18	8/79 Corner	72.00	90000.00	324000.00	सामान्य
19	8/80, 8/81, 8/82	18.00	87500.00	78750.00	सामान्य
20	8/83	18.00	87500.00	78750.00	अनुसूचित जाति


नोट:-व्यावसायिक भूखण्डों के लिए आरक्षित दर 66690.00 प्रति वर्ग मीटर है एवं लीज राशि आरक्षित दर से भूखण्ड की कीमत की 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष है।

मुहरबंद प्रस्ताव भेजना की प्रक्रिया :-

1. नीलामी में भूखण्ड क्रय करने के इच्छुक क्रेता अपने प्रस्ताव दर्शाते हुए मुहरबंद (चपडी द्वारा सील) लिफाफे में संबंधित कार्यालय उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल वृत्त प्रथम सेक्टर 5 कुडी भगतासनी योजना जोधपुर में निर्धारित अवधि में प्रस्तुत करेंगे। लिफाफे में जिस भूखण्ड हेतु निविदा प्रस्तुत की जा रही है। उस भूखण्ड का विवरण/नम्बर स्पष्ट लिखना आवश्यक है। 2. निविदादाता द्वारा लिफाफे पर मण्डल द्वारा निर्धारित प्रपत्र सूचनाएँ दर्शाना अनिवार्य होगा। 3. व्यावसायिक भूखण्डों हेतु आरक्षित वर्ग में निविदा प्रपत्र के साथ संक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र लगाया जाना आवश्यक है अन्यथा निविदा निरस्त मानी जावेगी।

नीलामी की शर्त :-

1. मुहरबंद प्रस्ताव दिनांक 4.12.2015 से 4.01.2016 तक को साय: 3.00 बजे तक प्राप्त किये जायेंगे। 2. प्राप्त प्रस्ताव उपस्थित प्रस्तावकों एवं उनके प्रतिनिधियों के समक्ष मण्डल द्वारा गठित अधिकृत समिति द्वारा दिनांक 5.01.2016 को प्रातः 11 बजे कार्यालय कार्यालय उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल वृत्त प्रथम सेक्टर 5 कुडी भगतासनी योजना जोधपुर में खोले जायेंगे। 3. निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त मुहरबंद प्रस्ताव को खोला नहीं जायेगा एवं ऐसे प्रस्ताव निरस्त समझे जायेंगे। 4. भूखण्ड जहाँ है जैसा है के आधार पर निस्तारित किया जायेगा। 5. भूखण्ड का माप मौके अनुरूप होगा यानि की दर्शायी गई माप में कमी/बढोतरी हो सकती है। 6. नीलामी से संबंधित समस्त राशि नगद रूप में प्राप्त न की जाकर पे-आर्डर / बैंकर्स चैक / डिमांड ड्राफ्ट जो कि राजस्थान आवासन मण्डल के पक्ष में जोधपुर में देय के जरिये प्राप्त की जायेगी। 7. प्रत्येक नीलामी में भाग लेने के लिए निविदादाता को न्यूनतम बिड मूल्य का 5 प्रतिशत अमानत राशि के रूप में पे-आर्डर / बैंकर्स चैक / डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा जमा करानी होगी। 8. सशर्त बोली प्रस्ताव एवं अमानत राशि पे-आर्डर/बैंकर्स चैक/डिमांड ड्राफ्ट रहित प्रस्ताव सीधे ही निरस्त माने जावेगे। 9. निविदादाता द्वारा दिये गये प्रस्ताव में अंकों व शब्दों में भरी राशि अंतर होने पर शब्दों में लिखी गई राशि मान्य होगी। 10. अधिकतम मूल्य प्रस्ताव देने वाले निविदादाता को नीलामी की राशि का 10 प्रतिशत राशि पूर्व में जमा करायी गई राशि को समायोजित करते हुए शेष राशि 72 घण्टे में जमा करानी होगी। यदि जमा कराने के अंतिम दिन राजकीय अवकाश हो तो उसके आगामी कार्य दिवस को जमा करानी होगी। उक्त राशि जमा न होने पर नीलामी निरस्त कर अमानत राशि जब्त कर ली जायेगी। 11. शेष राशि आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 60 दिवस में जमा करानी होगी यदि बोलीदाता द्वारा 60 दिवस की निर्धारित अवधि तक समस्त बकाया राशि जमा नहीं कराने की स्थिति में बोली की जमा राशि जब्त कर ली जायेगी एवं बोली स्वतः निरस्त हो जायेगी परन्तु यदि निविदादाता 60 दिवस की अवधि में मांग राशि जमा नहीं करता है तो वह लिखित में समयावृद्धि का अनुरोध करने पर मण्डल में प्रचलित नियमों के तहत ही प्रकरण को नियमित किया जा सकेगा। 12. आवंटन पत्र में स्वीकृत निविदा की शेष राशि के साथ मण्डल नियमानुसार लीज मनी एवं अन्य देय राशिया अलग से देय होगी। 13. एकल निविदा प्राप्त होने की स्थिति में भी निविदा खोली जायेगी एवं समिति अपनी सिफारिश के साथ मण्डल मुख्यालय को भेजेगी जिस पर अंतिम निर्णय के साथ मण्डल नियमानुसार लीज मनी एवं अन्य देय राशिया अलग से देय होगी। 14. मुहरबंद निविदा में एक से अधिक निविदा समान दर की प्राप्त होने की स्थिति में समिति द्वारा मौके पर उपस्थित निविदादाताओं से बंद लिफाफे में पुनः दर प्राप्त की जायेगी जो कि पूर्व में प्रस्तुत दर से कम नहीं होगी। 15. एक निविदादाता एक से अधिक निविदा में भाग ले सकेगा एवं एक ही परिवार के सदस्य चाहे पति पत्नि ही क्यो न हो नीलामी में भाग ले सकते हैं एवं नीलामी से सम्पत्ति क्रय कर सकते हैं। 16. विक्रय किये गये भूखण्ड की संपूर्ण विक्रय राशि जमा होने के पश्चात् 30 दिवस में लीज डीड करवाना अनिवार्य होगा निविदादाता यदि परिवार के अन्य सदस्य के नाम लीज डीड बनवाना चाहता है तो रूपये 10,000/- शुल्क देकर परिवर्तन करवा सकता है लीज डीड जारी होने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि में निर्माण कराया जाना आवश्यक होगा उक्त अवधि में निर्माण नहीं करवाने पर विभागीय नियमानुसार शास्ति जमा कराने पर आगामी दो वर्ष में निर्माण कार्य कराना अनिवार्य होगा अर्थात् भूखण्ड क्रय करने की अवधि से 5 वर्ष में पूरा निर्माण नहीं किया जाता है तो भूखण्ड का आवंटन निरस्त माना जावेगा एवं रा.आ.म. उस भूखण्ड को भारमुक्त मानते हुए कब्जा ले सकेगा एवं आवंटी अथवा निविदादाता की जमा कराई गई राशि रा.आ.म. के हक में जब्त की जा सकेगी। निविदादाता द्वारा निरस्तीकरण एवं भूखण्ड जब्ती की अपील राज्य सरकार के पास की जा सकेगी। 17. निर्माण मण्डल द्वारा स्वीकृत नक्शों के अनुरूप कराना होगा। 18. अन्य शर्तें प्रपत्रानुसार एवं आवासन आयुक्त द्वारा जारी आदेश क्रमांक 650 दिनांक 28.01.2014 के अनुरूप मान्य होगा। 19. किसी भी मुहरबंद प्रस्ताव/सभी प्रस्तावकों को बिना कारण बताये स्वीकृत या अस्वीकृत करने का सम्पूर्ण अधिकार रा.आ.म. के पास सुरक्षित है इस संबंध वाद विवाद स्वीकार नहीं होगा। 20. नीलामी के संबंध में विस्तृत शर्तें, बिडदाता हेतु बिड आवेदन का प्रारूप लिफाफे पर लिखे जाने वाला विवरण का प्रारूप व अन्य विवरण मण्डल की वेबसाईट WWW.rhbonline.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है एवं संबंधित सम्पर्क सूत्र कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।


(नरेन्द्र बोहरी)
आवासीय अभियन्ता
राजस्थान आवासन मण्डल
खण्ड द्वितीय, जोधपुर।
सेक्टर 4 कुडी भगतासनी योजना
जोधपुर फोन न. 0291-2730015

(आर सी रॉयल)
आवासीय अभियन्ता
राजस्थान आवासन मण्डल
खण्ड तृतीय, जोधपुर।
1 बी 119. कुडी भगतासनी योजना
जोधपुर फोन न. 9828109469

(एल एल गुरु)
आवासीय अभियन्ता
राजस्थान आवासन मण्डल
खण्ड चतुर्थ, जोधपुर।
8 बी 105. कुडी भगतासनी योजना
जोधपुर फोन न. 9983993940

(ए के भाटी)
उप आवासन आयुक्त
राजस्थान आवासन मण्डल
वृत्त प्रथम, जोधपुर।
सेक्टर 5, कुडी भगतासनी योजना
फोन न. 9828109429